तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 126/2025 जीसीएमएस नं.: 2025/208 इकबाल सिंह वगै. बनाम भजन सिंह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13–धारा 151 सीपीसी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
03.10.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम वाद सं. 30/2024 भजन सिंह बनाम इकबाल सिंह आदि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2025 जो कि प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय पारित किया गया है को अपास्त कर वाद पुनः सुनवाई में लेने के अनुतोष को लेकर वाद पत्र में प्रतिवादीगण की विधिवत तामील नहीं होने के बावजूद न्यायालय द्वारा तामील मानते हुए प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए वाद एकपक्षीय निर्णित किये जाने के कथन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। मूल वाद सं. 30/2024 भजन सिंह बनाम इकबाल सिंह आदि निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2025 को तलब किया गया। अप्रार्थी जरिए अधिवक्ता उपस्थित आए। अधिवक्ता अप्रार्थी जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस हेतु निवेदन किया। बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायालय हाजा में प्रस्तुत वाद पत्र में न्यायालय द्वारा दिनांक 24.01.2025 को प्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रकरण में दिनांक 30.06.2025 को वादी/अप्रार्थी का वाद एकपक्षीय निर्णित कर डिक्री किया गया। प्रकरण में न्यायालय द्वारा पत्रावली पर मौजूद तथ्यों परिस्थितियों के विपरित जाकर प्रकरण में रजि. सम्मन की तामील प्रतिवादीगणा पर विधिवत रूप से एवं सम्यक रूप से मानकर प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये जाकर वादी की साक्ष्य ली गई तथा पत्रावली में दिनांक 30.06.2025 को निर्णय एवं डिक्री पारित कर भारी कानूनी भूल की है। रजि. सम्मन की तामील विधिवत रूप से एवं सम्यक रूप से कभी भी सभी प्रतिवादीगण पर नहीं हुई तथा प्रकरण में वादी ने डाक विभाग के कर्मचारी से मिलीभगत करते हुए न्यायालय द्वारा जारी किऐ गऐ रजि. डाक सम्मन प्रार्थीगण द्वारा सम्मन लेने से इंकार दर्ज करवा दिया जिस पर न्यायालय द्वारा तलबी मानते हुए एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किऐ गऐ। प्रार्थीगण को किसी प्रकार की सुनवाई, जवाब देही का अवसर नहीं दिया गया। केवल मात्र प्रकरण में प्रतिवादीगण को न्याय से वंचित करते के आश्य से कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित दूषित किया गया है। उक्त प्रकरण कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण को अतिक्रमी होना दर्ज कर वाद पेश किया गया है जबकि प्रतिवादीगण ने कोई कब्जा नहीं किया गया था। प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का कोई मौका नहीं दिया गया। जबकि प्रतिवादीगण का यह विधिक अधिकार है कि वह अपनी सम्पत्ति संबंधी अधिकारों की रक्षा करें, उन्हे अपने अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। सम्मन पर दिखाई गई तामील फर्जी, कूटरचित है। प्रार्थीगण को प्रकरण के संबंध में ज्ञान नहीं था। दिनांक 25.07.2025 को उप[illegible] निर्णय दिनांक 30.06.2025 की पालना में मौका पर [illegible] हेतु प्रार्थीगण को पत्र जारी किया गया, जिस पर प्रार्थीगण [illegible] अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर प्रकरण के संबंध में [illegible] निर्णय का सर्वप्रथम इल्म हुआ। प्रार्थना पत्र [illegible] देरी के पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद सं. 30/2024 भजन सिंह बनाम इकबाल सिंह आदि में कानूनी एवं स[illegible]निक अधिकारी एवं जवाब देही का अवसर प्रदान करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण जो कि मूल वाद में प्रतिवादीगण थे, के विरूद्ध न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए रजि. सम्मन पर लेने से इंकार की रिपोर्ट प्राप्त होने पर विधिवत एकपक्षीय कार्यवाही गयी है। मूल वाद में पारित निर्णय एवं डिक्री की पालना भी हो चुकी है। प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.10.15 10:54:51 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 126/2025 जीसीएमएस नं.: 2025/208 इकबाल सिंह वगै. बनाम भजन सिंह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13–धारा 151 सीपीसी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये

न्यायिक दृष्टांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत के प्रकरण विश्वबंधु बनाम श्री कृष्ण आदि नि.दि. 29.09.2021 की छायाप्रति पेश की।

बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। मियाद बिन्दू पर किसी प्रकार की आपत्ति वकील अप्रार्थी द्वारा प्रकट नहीं किये जाने के कारण प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि. स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का मुख्य आधार प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद पत्र सं. 30/2024 में पारित एकपक्षीय कार्यवाही विधिवत नहीं होना तथा प्रतिवादीगण को बिना सुनवाई का अवसर दिए एकपक्षीय निर्णय पारित किया जाना है, जिससे प्रार्थीगण व्यथित है। मूल पत्रावली वाद सं. 30/2024 का अवलोकन किया। वाद पत्र में प्रतिवादीगण जो कि हस्तगत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण है को जरिए रजि. डाक सम्मन जारी कर तलब किया गया था। रजि. डाक लेने से इंकार की रिपोर्ट के साथ अदम तामील प्राप्त हुई जिसके आधार पर विधि अनुसार प्रतिवादीगण पर सम्मन की विधिवत तामील एवं प्रवितादीगण को प्रकरण का ज्ञान होने के बावजूद प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण की अनुपस्थिति के आधार पर दिनांक 24.01.2024 को प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये तत्पश्चात पत्रावली में विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए वाद बिन्दू कायम कर वादी से साक्ष्य ग्रहण करने के उपरान्त प्रकरण में दिनांक 30.06.2025 को वाद निर्णित एवं डिक्री किया गया। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण का अब यह कथन करना कि उन्हें प्रकरण का ज्ञान नहीं था तथा डाक विभाग के कार्मिकों द्वारा वादी/अप्रार्थी से मिलीभगत कर षड्यंत्रपूर्वक रिपोर्ट की गयी है उचित नहीं है। इस संबंध में न्यायालय अधिवक्ता अप्रार्थी के इस तर्क से भी सहमत है कि यदि प्रार्थीगण इस तथ्य पर बल देते है कि यदि षड्यंत्रपूर्वक कार्यवाही की गयी है तो प्रार्थीगण कानूनी कार्यवाही हेतु स्वतंत्र थे। परन्तु प्रार्थीगण की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण को सुनवाई हेतु न्यायालय द्वारा तलब किया गया तथा विधिवत तामील होने के उपरान्त भी अनुपस्थिति की दशा में दिनांक 24.01.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये है तथा उसके उपरान्त विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए दिनांक 30.06.2025 को वाद पत्र डिक्री किया गया है। न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने एवं निर्णय दिनांक 30.06.2025 पारित करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 एवं धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 03.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.10.15 10:54:51 IST
Reason: SelfAttested

शकुन्तला
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर